म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स किसान भवन, जेल रोड़ भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/2019/1318

भोपाल, दिनांक 11/2/2019

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आचंलिक कार्यालय (समस्त)

2 सचिव/भारसाधक अधिकारी,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषयः– फल सब्जी मण्डी मे आवक एवं आय की दैनिक जानकारी भेजने के संबंध मे।

–0–

विषयांतर्गत म0प्र0 मे कुल 172 फल एवं सब्जी मण्डियां अधिसूचित है, उनके वार्षिक आवक एवं आय के आधार पर मात्र 117 फल–सब्जी मण्डियो द्वारा ही रिपार्ट भेजी जाती है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश की सभी अधिसूचित फल–सब्जी मण्डी समितियों कियाशील नही है अथवा उन मण्डियों मे फल–सब्जी का कय–विकय मण्डी परिसर के बाहर हो रहा है। यह भी सम्भव है कि कुछ मण्डी ऐसी हो सकती है कि उनमे फल–सब्जी की आवक होती है, परन्तु वह अधिसुचित नही है। इसको बेहतर बनाने के लिय के प्रबंधन मे सुधार की आवश्यकता है।

मंडी सचिवों को निरन्तर स्मरण कराने के बावजूद फल एवं सब्जी की आय एवं आवक की जानकारी मुख्यालय को पृथक–पृथक नही भेजने से यह बताना कठिन होता है कि मण्डियों की कुल आवक एवं आय मे फल एवं सब्जी का अनुपात कितना है।

भोपाल फल–सब्जी मण्डी मे लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों को बदलकर उनके स्थान पर मंडी के अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने एवं सचिव द्वारा निरन्तर मॉनीटरिंग करने से 3 दिवस की दैनिक आय मे निम्नानुसार गुणात्मक अन्तर देखने को मिला है :–

भोपाल	करोंद	वर्ष/माह	आय (रू.मे)	वृद्धि/कमी (रू.मे)	प्रतिशत
संभाग	मण्डी भोपाल	8 जनवरी–2019	30571.00	+56544.00	+185
		8 फरवरी–2019	87115.00		
		9 जनवरी–2019	36721.00	+56589.00	+154
		9 फरवरी–2019	93310.00		
		10 जनवरी–2019	27495.00	+21163.00	+76.97
		10 फरवरी–2019	48658.00		

उपरोक्तानुसार स्थिति प्रदेश की अन्य अधिसूचित फल–सब्जी मण्डियों मे भी हो सकती है। इसलिये फल–सब्जी मण्डियों मे निम्नानुसार आवश्यक है ।

(1) फल–सब्जी मण्डी मे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के न केवल समय मे परिवर्तन किया जाए बल्कि उन्हे पुरी तरह फल–सब्जी मण्डी से हटाकर अन्य कर्मचारियो की ड्यूटी लगाई जाए ।

(2) कर्मचारियों की ड्यिूटी एक सप्ताह के अन्तराल से बदल कर (चक्रानुसार) लगाई जाये और दोनों सप्ताह में कार्यरत कर्मचार्यों के कार्य एवं मंडी फीस की समीक्षा की जाये।

(3) मंडी सचिव स्वयं प्रतिदिन इसका एक सप्ताह तक लगातार प्रातः 7 से 11 बजे तक फल–सब्जी मण्डी मे उपस्थित रहकर प्रबंधन देखने तथा नियमन का पालन सुनिश्चित करायेगे।

(4) संयुक्त/उप संचालक को अपने संभाग की कुल फल–सब्जी मण्डी मे से सप्ताह मे न्यूनतम 15 प्रतिशत मण्डियों मे स्वयं भ्रमण करने और प्रतिदिन निम्न प्रारूप मे मण्डियों से जानकरी प्राप्त कर स्वयं के अवलोकन पश्चात् मुख्यालय को व्हाटसप ग्रुप एवं ई–मेल के माध्यम से एम.आई.एस शाखा को भेजी जायेगी।

संभाग का नाम	मण्डी का नाम	वर्ष/माह	आवक (क्विं)	वृद्धि/कमी प्रतिशत में	आय(रू.मे)	वृद्धि/कमी प्रतिशत में
		जनवरी–2018				
		फरवरी–2018				
		जनवरी–2019				
		फरवरी–2019				

11/2/19

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंधन संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल